न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ़ (जयपुर)

प्रार्थना पत्र संख्या - 54/2018

1- छीतर पुत्र नाथा
2- रामजीलाल पुत्र स्व० गोपाल
3- राजन पुत्र स्व० गोपाल
4- हनुमान सहाय पुत्र स्व० गोपाल
5- बाबूलाल पुत्र स्व० हुकमा
6- फूलचन्द पुत्र स्व० हुकमा
7- भागचन्द पुत्र स्व० हुकमा
8- ग्यारसीलाल पुत्र स्व० हुकमा
9- रामकिशन पुत्र स्व० गोपाल

समस्त जाति कुम्हार निवासी ग्राम नांगल तुलसीदास तहसील-जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राज०)

... प्रार्थीगण

बनाम

1- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राजस्थान)
2- गोरधन पुत्र स्व० राधेश्याम जाति गुर्जर निवासी ग्राम नांगल तुलसीदास तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर)
3- रामेश्वरी देवी पत्नि स्व० राधेश्याम
4- मुकेश पुत्र स्व० रामचन्द्र
5- राकेश पुत्र स्व० रामचन्द्र
6- कौशल्या देवी पत्नि स्व० रामचन्द्र
7- चन्द्रदेवी पत्नि स्व० सीताराम
8- रमेश पुत्र स्व० सीताराम
9- सुरेश पुत्र स्व० सीताराम
10- शान्ति देवी पत्नि स्व० हनुमान
11- बाबूलाल पुत्र स्व० हनुमान

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम नांगल तुलसीदास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर हाल निवास मकान नं०-57 [illegible] जयपुर।

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

12. सन्तोषदेवी पत्नि स्व० छोटीलाल जाति गुर्जर निवासी- नांगल गुलालीदास तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राजस्थान)

--- प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत नक्शा रिकार्ड दुरस्ती अन्तर्गत धारा 131,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट

निर्णय दिनांक- 13/07/2015

प्रार्थीगण की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट के तहत नक्शा रिकार्ड दुरस्ती का पेश किया। प्रार्थना पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण की शामलाती खातेदारी भूमि पुराने ख०नं० 189 रकबा 5 बीघा 17 बिस्वा वाके ग्राम नांगल गुलालीदास पटवार हल्का बासना तहसील जमवारामगढ़ (जयपुर) में स्थित है। जिसके हाल किये गये सैटलमेन्ट में नवीन ख०नं० 269 रकबा 1.40 हैक्टेयर बनाये गये हैं, जिस प्रार्थीगण शामलाती रूप से मौकानुसार काबिज काश्त है।

विवादित भूमि पूर्व नक्शे में रोड से लगती तरमीम शुदा स्थित है, हाल किये गये सैटलमेन्ट में सैटलमेन्ट कर्मचारियों ने अपने अधिकारों का दुरूपयोग करते हुये उक्त भूमि का रकबा नक्शे में कम अंकित कर दिया। जबकि पूर्व नक्शे के अनुसार काबिज काश्त है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि को नक्शे में अंकित करते समय उसको सकोड़ कर रोड से लगता हिस्से को लुप्त कर छोटा अंकित कर दिया जिससे उक्त भूमि का रकबा नवीन नक्शे में कम हो गया। तथा ख०नं० 189 के नवीन ख०नं० 270 का रकबा नवीन नक्शे में प्रार्थीगण की रोड से लगती भूमि में बढ़ा कर ज्यादा अंकित कर दिया। जो मौका स्थिति एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। जिसे पूर्व नक्शे के अनुसार दुरस्त करने हेतु निवेदन किया।

[signature]
उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगणों की जारी की गई दिनांक 20/5/19 को अप्रार्थीगणों को जरिये रजिस्टर्ड डाक द्वारा तलब किया। किन्तु अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं हुए दिनांक 27/7/19 को अप्रार्थी सं० 2 ता 12 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार जमवारामगढ़ अप्रार्थी नं० 1 ने अपना जवाब पेश किया जिसमें अंकित किया कि ग्राम गांवालखुलखीदास के हाल ख०नं० 269 रकबा 1.48 हैक्टेयर मुश्त नाथ्या हि० 1/4, रामकिशन, रामजीलाल, राजन, हनुमान सहाय पि० गोपाल हि० 1/4, बाबूलाल, फूलचन्द, मामचन्द, प्यारेलाल मुश्त हकमा हि० 1/2 जाति कुम्हार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है।

प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि ख०नं० 191 रकबा 4.11 है० के नवीन ख०नं० 269 रकबा 1.48 हैक्टेयर बनाये गये। प्रार्थीगण की उक्त भूमि ख०नं० 191 पूर्व नक्शे में रोड से लगता तरमीम शुदा है हाल नक्शे में उक्त भूमि का रकबा नक्शे में कम कर दिया गया है। तथा साबिक ख०नं० 187 का रकबा नवीन ख०नं० 270 का रकबा पूर्व दिशा में बढ़ा दिया गया है।

गत ख०नं० 191 के आधार पर नवीन ख०नं० 269 को संलग्न नक्शे में प्रस्तावित दुरुस्त कर दर्शाया गया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई बहस सुनने व पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131, 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार जमवारामगढ़ की रिपोर्ट के अनुसार (प्रस्तावित नक्शा) अनुसार दुरुस्त करने के आदेश तहसीलदार जमवारामगढ़ को दिये जाते हैं तदानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल किया जावे। निर्णय व प्रस्तावित नक्शे की प्रति तहसीलदार जमवारामगढ़ को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

[signature]

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़ (जयपुर)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Vishwamitra Meena
Date: 2020.01.21 14:52:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: